आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमण्डल, छपरा

पत्रांक 2239 छपरा, दिनांक 01 / 10 / 2024

प्रेषक,

आयुक्त,
सारण प्रमण्डल, छपरा।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सारण / सिवान / गोपालगंज।

विषयः– **बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम–2009 की धारा–15 के तहत भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के पारित आदेश के क्रियान्वयन के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भूमि विवाद निराकरण, अधिनियम–2009 के तहत सक्षम पदाधिकारी आदेश पारित करते है, तो उसके विरूद्व उक्त अधिनियम की धारा–14 के प्रावधानों के तहत विहित अवधि के अन्तर्गत क्षुब्ध पक्ष अपीलवाद 30 दिन में दायर कर सकता है। अधिनियम की धारा–15 के Provision के तहत निर्धारित समयावधि मे अपील दायर नही करने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी के आदेश का क्रियान्वयन (Execute) करना विधिसम्मत है, लेकिन अपील दायर करने एवं अधिग्रहित होने पर आदेश को Execute करना विधि–सम्म्मत् नहीं है। कुछ अपीलार्थीगण विलम्ब से भी अपील दायर करते है। यदि विलम्ब से दायर अपील तक निम्न न्यायालय के आदेश का अनुपालन नही किया गया है तो आयुक्त न्यायालय से अंतिम रूप से निष्पादन / अंतरिम आदेश तक यथा स्थिति रखना उचित होगा।

इसलिए निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त अधिनियम के तहत अपीलवाद अधिग्रहित होने पर निम्न न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन (Execute) नहीं किया जाए।

ह० 01/10/2024

आयुक्त
सारण प्रमण्डल, छपरा।

GL–2024 (1)

Scanned with OKEN Scanner